Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

अस्थि अक्षम विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का अध्ययन

Tikam Singh[1]* Dr. Anju Bala[2]

[1] Research Scholar (Education) Shri Venkateshwara University, Gajruala Amroha, Uttar Pradesh

[2] Associate Professor, Department of Education, Shri Venkateshwara University, Gajraula Amroha U.P.

सार – ***प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य अस्थि विकलांग विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इन सभी का संवेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा शैक्षिक समायोजन का अध्ययन किया गया है। तदोपरान्त सम्पूर्ण समायोजन देखा गया तथा पाया कि सामान्य विद्यार्थियो का सम्पूर्ण समायोजन अस्थि विकलांग विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छा होता है।***

मुख्य शब्द - अस्थि अक्षम, विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी

----------X----------

प्रस्तावना

शिक्षा का उद्देश्य बालक को कुशल नागरिक बनाना है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक में सामाजिक कुशलता का विकास किया जा सके और बालक को समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनाया जा सके। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों के नियंत्रण का साधन भी है, साथ ही साथ शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। शिक्षा का उत्तरदायित्व बालक को ज्ञान देने के साथ उसका समाजीकरण भी करना है।

आधुनिक शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो समाज की व्यवस्था को दृढ़ बनाकर बालकों को उनके विकास के लिए समुचित अवसर देकर समाज के मूल्यों की सुरक्षा करें। इसलिए शिक्षा की पुर्नरचना का प्रयत्न इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है। मनोविज्ञान बालक के समन्वित विकास पर बल देता है। जबकि समाजशास्त्र के अनुसार यह विकास समाज की उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए।

भारत एक प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी देश है। यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है कि उन्हें शारीरिक जीवन के साथ-साथ समुचित शिक्षण व प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जायें। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा संविधान में 86 वाँ संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा सभी बालकों को बुनियादी शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस संशोधन के सात वर्षो के बाद सन् 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 पारित किया गया। जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया जिसमें 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

विशिष्ट शिक्षा संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है जो सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वदा भिन्न है। इस क्षेत्र में शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ विशिष्ट भी है। कुछ अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ अधिकतर आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में आवासीय शिक्षण संस्थाएँ सामान्यतः दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के महानगरों में ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाधाओं से

www.ignited.in

संबंधित सुविधाओं, संसाधन आवश्यक है जो शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुर्नगठन, नागरिक विकास, व्यावसायिक कार्य कुशलता आदि प्रदान करना।

असमर्थता के अंतर्गत बाधिता के स्वरूप एवं कार्य दोनों ही सम्मिलित होते हैं। बाधिता, असमर्थता का परिणाम है। यदि व्यक्ति आंशिक रूप से बाधित होता है तो वह सामान्य के तुल्य माना जाता है क्योंकि असमर्थता इंद्रियों के क्षेत्र को प्रभावित करती है जबकि अन्य क्षेत्र सामान्य रूप से अपना कार्य करते हैं।

शारीरिक बाधिता में बालक-बालिका का कोई न कोई अंग दुर्बल होता है, जिससे वे अपनी सामान्य क्रियाएँ नहीं कर पाते उसे शारीरिक बाधिता कहा जाता है। बाधित व्यक्तियों की समायोजन की अनेक समस्याएँ होती हैं और हमेशा उसे शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति कहा जाता है, जबकि मानसिक दुर्बलता नहीं होती।

शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है जो जीवन पर्यन्त मनुष्य का सही और समुचित पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है- "सा विद्या या विमुक्तये" सच्चे ज्ञान से मनुष्य के अंतः चक्षु खुल जाते हैं, इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को तीसरे नेत्र की संज्ञा दी गई है। शिक्षा मनुष्य को विवेकशील, चिंतनशील बनाती है, उसमें नीर-क्षीर विवेक की शक्ति उत्पन्न करती है।

मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, वह अपने अनुभवों के आधार पर नये-नये ज्ञान प्राप्त करता है। अन्य प्राणी प्रत्येक जीवन में अपनी प्रक्रियाओं को दोहराते रहते हैं। मनुष्य अपने अनुभवों को सुरक्षित रखकर अगली पीढ़ी को प्रदान करने में सक्षम है। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करते रहता है तथा समाज एवं वातावरण के साथ समायोजन एवं संबंध को स्थापित करता है। वातावरण एवं समाज में निहित ज्ञान ही शिक्षा है। जिससे बालक उन अनुभवों एवं ज्ञान को आत्मसात करता है। अपने विकास और सामंजस्य के आधार पर उपलब्धियों को हासिल करता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों का सम्पूर्ण विकास करना है यह तभी संभव है जब बालक को स्वयं का परिवार, समाज एवं विद्यालय में उत्तम प्रकार का वातावरण मिले। विद्यालय एवं घर का अस्तित्व बहुत कुछ भावनात्मक और मानसिक होता है, जहाँ मानव की मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं, सुरक्षा, निःस्वार्थ एवं संबंध सौहार्द्र, आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं यथार्थीकरण के विकास हेतु आवश्यक प्रयास किया जाता है।

अक्षमता

अक्षमता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः अक्षमता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है।

International Classification of Disability and Handicapped के अनुसार व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान और पिछड़ापन हो जाता है उसे अक्षमता कहते हैं। इसमें व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएँ बाधित हो जाती है। जैसे- एक व्यक्ति व्हील चेयर के योग्य व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, विकलांग कहलाता है। कभी-कभी बिना अक्षमता के भी क्षति अक्षमता में बदल सकती है।

अस्थि या गत्यात्मक अक्षमता वाले बच्चों का शिक्षण

प्री इंट्रीग्रेशन स्किल भारत में दशकों से विशेष स्कूलों की परम्परा प्रचलित है। वर्तमान में यह गहराई से महसूस किया जा रहा है कि बच्चे अक्षमता से युक्त हैं उन्हें सामान्य स्कूलों से जोड़ा जाये। जो बच्चा मध्यम अक्षमता है उन्हें सरलता से सामान्य स्कूलों से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के बच्चों को पूरी तरह से इन स्कूलों से जोड़ने के पूर्व कुछ समेकन कौशलों को सिखाया जाना आवश्यक है। सामान्यतः कहा जाता है कि गत्यात्मक असमर्थता वाले बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य है जिससे वे अपने कार्य कर सकें तथा स्कूल जा सकें।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं भागीदारी अधिनियम, 1995)

7 फरवरी 1996 को निःशक्त व्यक्ति अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्र निर्माण में विकलांगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम था। इस अधिनियम में पुर्नवास के निवारण तथा संवर्धन संबंधी पहलुओं का प्रावधान है।

प्रावधान

- अक्षमता की रोकथाम व शीघ्र पहचान
- शिक्षा
- रोजगार
- अभेदभाव
- अनुसंधान व मानव शक्ति विकास
- सकारात्मक कार्यवाही
- सामाजिक सुरक्षा
- शिकायत निवारण

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है वे अक्षम व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष हो एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम हो वे इस एजेंसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य है। अक्षम व्यक्ति को चुने हुए कार्यों के लिए इस एजेंसी के तहत ऋण भी मिल सकता है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र

देश के विभिन्न राज्यों में 107 जिलों में पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर गांव तक पहुँचने के लिए उठाया गया एक और कदम है। ये केन्द्र आकंलन करेंगे, सहायक अंग और उपकरण लगाएगें व उनका अनुरक्षण करेंगे, वर्तमान विद्यालयों से संपर्क स्थापित करेंगे या अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा व उनके योग्य रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करेंगे।

अवरोधहीन वातावरण बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सड़क, सार्वजानिक भवन तथा यातायात शामिल है। यह योजना हाल ही में देश में कार्यरत् निःशक्त व्यक्तियों की शीर्ष संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ की गई है।

मिशन कोड में विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजना

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकलांगों तक एक तरफ देशी तथा प्रभावकारी तरीके से पहुँचाना तथा दूसरी ओर उनके जीवन में वृद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। भारत सरकार उन विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सहायता देती है, जिससे विकलांग व्यक्ति को समान अवसर मिले तथा उसका विकास हो, मंद बुद्धि व्यक्तियों को कम्प्यूटर की सहायता से प्रशिक्षण देने की इस परियोजना को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता मिली है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

The Right of Children to free and compulsory Education Act, 2009.

सभी व्यक्तियों को समान अवसर के उपबंध के माध्यम से लोकतंत्र के सामाजिक ढाँचे को मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को हमारे गणतंत्र के प्रारंभ से ही स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान में उपवर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह अभिकथन है कि राज्य चैदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पिछले कुछ वर्षो में देश में प्राथमिक विद्यालयों के स्थानिक और संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, फिर भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से हमें प्रवंचित करता रहता है। ऐसे बालकों की संख्या विशेषकर सुविधा रहित समूहों और कमजोर वर्गो के, जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व विद्यालय छोड़ देते हैं, काफी रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बालकों जो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं, की दशा में भी विद्या संबंधी उपलब्धियों की गुणवत्ता सदैव पूर्णतया संतोषप्रद नहीं रहती है।

संविधान (86 वाँ संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा यथा अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 क, छह वर्ष से चैदह वर्ष की आयु समूह के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक ऐसे मूल अधिकार के रूप में उपबंधित करता है, जो ऐसी रीति में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। परिणामतः बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 को

www.ignited.in

अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है:-

- प्रत्येक बालक/बालिका को किसी ऐसे औपचारिक विद्यालय से जो कतिपय अनिवार्य सन्नियमों और मानकों का समाधान करता है संतोषप्रद और साम्यपूर्ण गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का अधिकार है।
- 'अनिवार्य शिक्षा' समुचित सरकार पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसके लिए प्रवेश, उपस्थिति और उसके पूर्ण होने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अधिरोपित करती है।
- निःशुल्क शिक्षा में यह अभिप्रेत है कि ऐसे किसी बालक से भिन्न जिसे उसके माता-पिता द्वारा किसी ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया है जो समुचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, कोई बालक किसी भी प्रकार की फीस या प्रभारों या व्ययों का दायी नहीं होगा, जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से निवारित करें।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में समुचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, माता-पिता विद्यालयों और अध्यापकों के कत्र्तव्य।
- बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली और एक विकेन्द्रीकरण शिकायत समाधान तंत्र।

विशिष्ट शिक्षा

शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा समाज के समस्त बच्चों को बिना किसी भेदभाव किए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने में विशिष्ट शिक्षा की अहम भूमिका हैं प्रत्येक बालक के अंदर सृजनात्मकता का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, उस सृजनात्मकता को जगाने में शिक्षक, विद्यालय, पालक एवं समाज के साथ-साथ प्रशासन की भी अपनी विशेष भूमिका होती है। वास्तव में जब सब मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं, तभी शिक्षा जगत में सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है।

भारत में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोठारी कमीशन ने निभाई है। कोठारी कमीशन (1964-66) में कहा गया कि जब तक बालकों के विशिष्ट समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएँ उपलब्ध नहीं करायी जाती, तब तक बाधित बालकों का शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रारम्भिक अवस्था में कम होगा। इन्होने बाधित बालकों का प्रतिशत 0.07 माना। यह ऐसे बालक थे, जो कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते थे। परन्तु जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ;छच्म्ए 1992द्ध के आंकड़ों की गणना की तो यह एक प्रतिशत निकला। इस प्रतिशत से यह बात स्पष्ट हुई कि देश भर में लाखों ऐसे बालक हैं जो कि वास्तविक शिक्षा से वंचित है अर्थात् यह बालक अस्वीकारात्मक होते हैं।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक परिपेक्ष्य के अंतर्गत प्रतिभाशाली एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। 19वीं शताब्दी से अमेरिका तथा यूरोप में समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें मूल रूप से पायी जाती है। प्राचीन सभ्यता पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि बाधित बालकों की हत्या कर दी जाती थी या समाज उन्हे कलंक की दृष्टि से देखता था। उन्हें नगन्य समझा जाता था। 19वीं शताब्दी के पहले अपंग बालकों को स्वीकार न करके दयालुता से देखभाल करने तथा शिक्षा के प्रति पृथक्कीकरण के संकेत मिलते हैं।

व्यक्तियों को सुयोग्य नागरिक बनाने के संबंध में शिक्षकों को बच्चों की प्रवृत्ति, रूचि और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान ने वस्तुतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज की प्रेरणा दी। अतः पूर्व प्रचलित विचार पूर्णतः परिवर्तित हो गये। पहले पूर्व निश्चित शिक्षा के स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षित किया जाता था और अब बालकों के विकास स्तर के अनुकूल उनकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

- एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो सके।
- निःशक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय को जागृत कर भागीदारी बढ़ाना।
- उन शिक्षकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दिलाना जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- शत-प्रतिशत शाला प्रवेश कराना।

- बाधा रहित शिक्षा हेतु शाला को एवं शिक्षकों को तैयार करना। रैम्प और हैण्ड्रिल टॉयलेट बनवाना।

समन्वित शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आधार पर प्राथमिकताएँ दी हैं। इसके अनुसार सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की संस्तुति की है। "शिक्षा के समानता के अवसर" थोड़ी दूर पर शिक्षा केन्द्र खोलने को शामिल करता है जिससे पैदल ही पहुँचा जा सके। इसमें ऐसे आकर्षक साधन भी उपलब्ध कराना सम्मिलित है कि बालकों की शिक्षा संस्था में जाना निरंतर बना रहे तथा कोई विद्यार्थी संस्था न छोड़े एवं शिक्षा के प्रति बालकों की रूचि बढ़ती रहे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शिक्षा संस्थाएँ भी स्थापित होनी चाहिए जो स्कूल न जा पाने योग्य छात्रों का हित भी ध्यान में रखते हुए जनसाधारण के प्रति जागरूक होकर कार्य करने में सक्षम हो।

शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को एक ही शिक्षा संस्था में शिक्षा का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत तथा मेल-जोल की प्रक्रिया व्यवस्था होना, सामान्यतः एकीकरण है। प्रारंभिक स्तर पर "एकीकरण शिक्षा" अमेरिका में शिक्षा की मुख्यधारा आंदोलन का फल है। इस आंदोलन के माध्यम से अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया और बाधित बालकों का विशिष्ट प्रविधियों द्वारा सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी।

अस्थि अक्षमता

शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अक्षमों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह समाज के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके। उनका सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जियें। सृष्टि के अभ्युदय से आज तक यह विशिष्टता रही है कि कोई भी दो प्राणी एक से नहीं होते। वे न तो एक सा व्यवहार करते हैं न ही एक जैसी उनकी शिक्षा होती है। बाल विकास के अनुसार बालक को दो प्रकार का माना गया- सामान्य बालक व विशिष्ट बालक। इस विशिष्टता के क्रम में प्रखर बृद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से अक्षम या शारीरिक रूप से अपंग असमर्थता तक माना जा सकता है।

शिक्षा परिभाषा शब्दकोष के अनुसार- "वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो जोकि उसे अपने विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुँचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है।"

क्रुचशेन्क (1974) के अनुसार- एक बहुबाधित बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक और समाजिक रूप से सामान्य बालक की अपेक्षा भिन्न है जोकि सामान्य कक्षा-कक्ष में शिक्षण के कार्यक्रम से लाभान्वित न हो सके तथा उसे विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता हो।

हेवेट तथा फोरनेस (1984) के अनुसार- बहुबाधित एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियाँ तथा मांसपेशियाँ की क्षमतायें अनोखी हो अर्थात् सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ हो।

शैक्षिक उपलब्धि

शिक्षा एक निरंतर गतिशील एवं प्रयोगात्मक प्रक्रिया है शिक्षा-जगत से संबंधित कुछ ऐसे मूलभूत एवं स्थायी प्रश्न व समस्याएँ हैं जो शिक्षाविदों के सामने प्रारंभ से ही उपस्थित रहे हैं और अभी तक कोई निष्कर्षात्मक समाधान प्राप्त नहीं किया जा सका है। शैक्षिक उपलब्धि संबंधी समस्या भी शिक्षा-जगत की एक ऐसी ही अनिर्णित शाश्वत समस्या कही जा सकती है।

शिक्षा प्राप्ति के माध्यम है -

1. औपचारिक माध्यम (विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा)
2. अनौपचारिक शिक्षा
3. समुदाय, समाज में मिलने वाली शिक्षा आदि।

विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बालक की उपलब्धि मापन के लिए परीक्षाएँ ली जाती है। प्राचीन भारतीय गुरूकुलों में भी शैक्षिक उपलब्धि के महत्व एवं आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षण की एक निश्चित अवधि के बाद विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संपादित की जाती थी तथा उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को समुचित महत्व प्रदान किया जाता था।

क्रो एवं क्रो (1948) के अनुसार- "विद्यार्थी शिक्षण के किसी क्षेत्र में शिक्षक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के द्वारा कितनी मात्रा में लाभान्वित होता है अर्थात् किसी विद्यार्थी की उपलब्धि उस

www.ignited.in

मात्रा के द्वारा प्रगट होती है जिस मात्रा में वह प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान या कौशल उपार्जन करता है।"

शैक्षिक उपलब्धि को परिभाषित करते हुए गुड (1945) ने लिखा है- "शैक्षिक उपलब्धि स्कूल के विषयों से उत्पन्न ज्ञान की क्षमता, परीक्षाकंन अथवा अध्यापक द्वारा प्रदत्त अंक अथवा दोनों प्रस्तुत अंकों से निरूपित की जाती है।

उपलब्धि मानव के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहता है। अतः मानव जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए हर संभव प्रयास करता है, जिससे उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है वही उसकी उपलब्धि है। संक्षेप में मानव को इच्छायुक्त प्रयास के फलस्वरूप फल प्राप्ति ही उपलब्धि कहलाती है। व्यक्ति किसी कार्य को अपनी बौद्धिक क्षमता एवं शारीरिक क्रियाशीलता से कैसे भी हो सफलतापूर्वक कर लेता है उसे ही व्यक्ति की उपलब्धि कहते हैं।

शैक्षिक उपलब्धि एक मनोवैज्ञानिक संम्प्रत्यय है जो किसी विशेष शाखा में दिए गये पाठ्यक्रम के अधिगम और प्रशिक्षण जोकि निश्चित काल के लिए दिया जाता है से अर्जित की जाती है। शैक्षिक उपलब्धि की प्रक्रिया में चाहे वह नियोजित हो या अनियोजित, चेतन या अचेतन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिससे व्यक्ति कुछ सीखता है और इससे व्यवहार में परिवर्तन आता है।

शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के कारण दो वर्गो का विकास हुआ- (1) निम्न उपलब्धि वर्ग (2) उच्च उपलब्धि वर्ग। निम्न उपलब्धि वर्ग में यह पाया जाता है कि बालक शैक्षिक प्रवीणताओं में हीन होता है, एवं ध्यान तथा एकग्रता की प्रक्रियाओं में कठिनाई अनुभव करता है। जबकि उच्च उपलब्धि वर्ग में बालक शैक्षिक प्रवीणताओं में तेज होता है एवं ध्यान को आसानी से एकाग्र कर लेता है।

मिलर (1971) के अनुसार- निम्न उपलब्धि वाले रक्षात्मक या कठोर होने के कारण किसी शैक्षणिक परिस्थिति का सामना करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। अशांत चिंतन के कारण वे छुपे पृष्ठ की सार ग्रहण नहीं कर पाते और अंततः पठन में त्रुटियाँ करते हैं।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि अभिभावक अपने बालक की रूचियों व उपलब्धियों के बारे में ज्ञान रखते हैं उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हुए उनके रूचियों तथा उपलब्धि के क्षेत्र में समर्थन करते हैं, तो बालक की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है तथा उच्चता को प्राप्त करती है। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले कारक उत्प्रेरक के सदृश्य होते हैं जो रसायनिक क्रिया में तो भाग नहीं लेते, परन्तु अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं।

- पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत अभिभावक प्रोत्साहन बालकों के प्रतिपुष्टि तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- बालक की शैक्षिक उपलब्धि इसमें घनिष्ठ रूप से संबंधित रहती है।
- पारिवारिक वातारण के अंतर्गत अभिभावकीय प्रोत्साहन न केवल शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने में उपयोगी है, वरन् बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।

संबंधित शोध अध्ययन

अस्थि अक्षमता व अन्य अक्षमता का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक रूप से देखा गया है।

हमांगमाओ (2007) ने शोध में यह पाया कि अक्षम बच्चों में गुणात्मक अपेक्षाएँ है कि वह क्या हासिल कर सकता है।

क्लेबनाव, काटो, बुरक्सगुन, जाने कोरनिक, मैरी (1994) ने पाया कि जन्म के समय अत्याधिक कम वजन वाले बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में कम अंक लाते हैं।

विकेलमेन, वंशापिरा (1994) ने यह देखा कि अस्थि विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों में सामंजस्यता, आत्मसम्मान, व्यवसायिक आकांक्षायें आदि में बहुत अंतर है।

स्पेन्सेस (2010) आवश्यकता वाले बच्चों की उपलब्धि में यह देखा गया कि इन बच्चों की द्वितीय उपलब्धि सामान्य नियमित विद्यार्थियों की तुलना में कम थी।

रविकांत एवं लेंका (2013) ने यह कहा कि उच्च उपलब्धि वाले छात्रों की सामाजिक कठिनाई निम्न उपलब्धि वाले छात्रों की तुलना में कम थी। लेकिन लड़कियों को लड़कों की तुलना में कुछ अधिक कठिनाई होती है। स्थान का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

www.ignited.in

राजकोनवर, दत्ता एवं सोनी (2013) ने देखा कि दृष्टि बाधित विकलांग, छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि और सामंजस्यता पर दृष्टिबाधिता का कोई संबंध नहीं पाया।

यूनीसेफ के नजर में भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान भी उनकी उपलब्धि को प्रभावित करता है। बच्चों में डर, संवेग, उदासी, व्याग्रता, हीनता आदि का प्रभाव उनकी उपलब्धि पर पड़ता है। इसी प्रकार बच्चे की स्वंय की छबि, खराब देखभाल, द्यर से भागने की प्रवृत्ति, उदास, व्याकुल और आत्मविश्वास में कमी, भी उपलब्धि को प्रभावित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संघ शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित है।

तलवार एवं कौर (2016) ने विशेष आवयकता के बच्चों का अध्ययन किया। उन्होने देखा कि सामान्य और विकलांग बच्चों की स्वअवधारणा एवं शैक्षिक उपलब्धि में अंतर है। शारीरिक विकलांग बच्चों की तुलना में सामान्य बच्चो की शैक्षिक उपलब्धि बहुत अधिक प्राप्त हुई।

अस्थि अक्षम बच्चों की शिक्षाः-

शारीरिक विकलांगता के कारण ये बालक सामान्य बालकों के समान कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते इस बात का शिक्षकों व विद्यालय प्रबंधन को विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा इन्हे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने के साथ इनकी शारीरिक विकलांगता को ध्यान में रखते हुए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम भी बनाए जाने चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

1. **शारीरिक अपंगता के अनुरूप शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन** - विकलांगता के प्रकार को देखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों का चयन किया जाना चाहिए जिस बच्चे के हाथ ठीक से कार्य नहीं करते है तो उसे पैरों से बाधित बच्चे से अलग पाठ्यक्रम द्वारा सिखाया जाना चाहिए।

2. **सांवेगिक समायोजन एवं सुरक्षा प्रदान करना –** शारीरिक विकलांगता के कारण कभी-कभी बालक का सामाजिक एवं सांवेगिक समायोजन बिगड जाता है। अतः पाठयक्रम एवं शिक्षण विधियां बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनका सावेगिक समायोजन, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना बनी रहे एवं विकसित होती रहे तथा हीन एवं निराशाजक भावों का उन्मूलन न हो।

3. **शारीरिक दक्षता विकसित करना –** ऐसे बालक के अंदर आत्मविश्वास की भावना को इस प्रकार जागृत किया जाए जिससे कि वह अपनी शारीरिक अपंगता पर विजय प्राप्त कर सके एवं कृत्रिम अंगो को लगाकर उनका उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वह सामान्य बालक की भांति कार्य कर सके।

4. **शैक्षिक एवं संतुलित विकास करना –** इन बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ सैद्धांतिक विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए।

समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए समस्या कथन निम्न है -

“अस्थि अक्षम विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का एक तुलनात्मक अध्ययन।”

सुझाव

शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक स्तर तथा राष्ट्र निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धियों हेतु सुझाव प्रस्तुत है-

- शिक्षको द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को देखकर उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए।
- शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने में उनका सहयोग देना चाहिए।
- अस्थि अक्षम विद्यार्थियों में आत्म निर्भर होने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए।
- अस्थि अक्षम विद्यार्थियों में उत्पन्न हीन भावना को समाप्त कर उनकी उपलब्धि बढ़ाने में सही दिशा देने में शिक्षक तथा अभिभावक अपनी अहम् भूमिका निभाये।
- माता-पिता एवं पारिवारिक सदस्यों को अस्थि अक्षम विद्यार्थियों के समायोजन एवं संवेगात्मक स्थिरता बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। ताकि उनकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च हो सके।

www.ignited.in

- समावेशी एवं विशिष्ट विद्यालयों में अस्थि अक्षम विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन अस्थि अक्षम विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित कर प्रतियोगी वातारण तैयार करने एवं व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में सहायक होगा। अस्थि अक्षम विद्यार्थियों की क्षमता एवं अक्षमता के अनुरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं उपलब्धि में दुष्प्रभावी कारणों को दूर करने एवं उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक होगा। शासन द्वारा प्रदत्त भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं का लाभ अस्थि अक्षम विद्यार्थियों के सुलभता हेतु ध्यान आकृष्ट करने में उपयोगी होगा। यह अध्ययन शिक्षकों, प्रधानपाठकों, पालकों, सहपाठियों, समुदाय के बीच इन विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति, संवेदनाएँ तथा समान आदर देकर शिक्षित कर रोजगार की संभावनाओं की वृद्धि करने में सहायक संम्भाव्य है। प्रस्तुत अध्ययन समावेशी शिक्षा से प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कर इन विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़कर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भाग मानने हेतु उपयोगी होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1. अहमानन स्टेनली जे (1962). “दृष्टिबाधित किशोरों का मनोसामाजिकरण” साइकोलिंग्वा एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, आगरा।
2. एनस्को एम. (1994). “स्पेशल नीड्स इज द क्लासरूम” ए टीचर एज्यूकेशन गाइड किंग्सलेः यूनेस्की।
3. कौशिक ब्रा.ना. (1997). “विकलांग शिक्षा सिंधु” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीः जयपुर।
4. गुड बी.सी. (1973). “डिक्शनरी ऑफ़ एज्यूकेशन” मेग्राहिल बुक केः न्यूयार्क।
5. गुप्ता एस.के. (1989). “अस्टडी ऑफ़ स्पेशल नीड्स प्रोविजन फॉर द एज्यूकेशन ऑफ़ चिल्ड्रन विद विजुवल हैण्डीकेप्स इन इंग्लैण्ड एंड वेल्स एंड इन इंडिया एसोसिएशनशिप स्टडी, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एज्यूकेशन लंदन।
6. चांद किरण (2005). “शिक्षा समाज और विकास” कनिष्ठ पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
7. चैहान एस.एस. (1979). “इनोवेशन्स इन टिचिंग एण्ड लर्निंग प्रोसेस” विकास पब्लिशिंग हाउस, कानपुर।
8. पाण्डेय, रामशकल (2003). “उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
9. भार्गव, महेश (2011). “विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास” राखी प्रकाशन, आगरा।

Corresponding Author

Tikam Singh*

Research Scholar (Education) Shri Venkateshwara University, Gajruala Amroha, Uttar Pradesh

titupal105@gmail.com